छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 462/2006

श्री सर्वजीत सेन,
15–ए, गुरूकुल परिसर,
कालीबाड़ी रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अनावेदक

:: आदेश ::

(दिनांक 28 अक्टूबर 2006)

श्री सर्वजीत सेन के द्वारा आयोग के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–18(1) के अंतर्गत शिकायत प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा जन सूचना अधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र देकर रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर में स्थित शत–प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के बारे में 8 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। आवेदक को पत्र दिनांक 6–6–2006 के द्वारा संचालक लोक शिक्षण के द्वारा सूचित किया गया कि वांछित जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है, जानकारी प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जावेगी। दिनांक 15–6–2006 को आवेदक को 21 प्रतियों की जानकारी दी गई। आवेदक ने यह शिकायत की है कि उसे बिन्दु क्रमांक–6 की जानकारी प्राप्त नहीं हुई तथा गलत जानकारी दी गई।

2/ जन सूचना अधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी किया गया। प्रारंभिक रूप से जानकारी देने में विलम्ब प्रतीत होने के कारण जन सूचना अधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को 10,000/– रूपए की शास्ति क्यों ने आरोपित किया जावे का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय के जन सूचना अधिकारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। शिकायतकर्ता आवेदक का यह तर्क है कि उसे जानकारी विलंब से दी गई। अतः सूचना अधिकारी पर अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि शिकायतकर्ता को बिन्दु क्रमांक–6 को छोड़कर शेष जानकारी प्रदान कर दी गई थी तथा शिकायतकर्ता को सूचित किया गया था कि वांछित जानकारी जिलों से संबंधित होने से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जावेगी तथा आवेदक को प्राप्त जानकारी बाद में उपलब्ध कराई गई। बिन्दु क्रमांक–6 अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में सूचना का अधिनियम प्रभावशील होने के संबंध में शासन को सूचना अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में प्रस्ताव भेजा गया था। शासन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–10–2006

की जानकारी को दी गई। जन सूचना अधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा यह भी बतलाया गया कि आवेदक ने इन्हीं बिन्दुओं पर जानकारी न मिलने के संदर्भ में आयोग के समक्ष द्वितीय अपील क्रमांक 156/2006 प्रस्तुत की थी तथा बाद में उसे वापस लेने हेतु आवेदन देकर अपील वापस ली तथा इसी के सन्दर्भ में उसने यह शिकायत भी प्रस्तुत की कि अपील क्रमांक–156/2006 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक ने शिकायत में वर्णित आवेदन पत्र के संदर्भ में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी, किन्तु आवेदक के द्वारा अपने आवेदन पत्र दिनांक 13–6–2006 के अनुसार प्रकरण वापस लेने हेतु आवेदन दिया। प्रकरण में यह भी पाया गया कि जानकारी विभिन्न स्तरों से प्राप्त किये जाने में विलम्ब हुआ है, किन्तु यह विलम्ब दुर्भावनावश अथवा जानबूझकर नहीं किया गया। अतः अपील अमान्य की गई।

3/ चूंकि आवेदक के द्वारा जिन बिन्दुओं पर प्रकरण वापस लेने का आवेदन पत्र दिया तथा आयोग के द्वारा द्वितीय अपील अमान्य की गई उन्हीं बिन्दुओं पर आवेदक ने शिकायत की है। प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि जानकारी जिलों से संबंधित है तथा आवेदक को उक्त जानकारी जन सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त करना था। अतः जन सूचना अधिकारी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय विलम्ब से सूचना देने के लिए दोषी नहीं है। अतः उनके विरूद्ध 10,000/– रूपए अर्थदण्ड किये जाने का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। चूँकि जानकारी अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के संबंध में चाही गई है, अतः उक्त जानकारी उन संस्थाओं के सूचना अधिकारी से ही आवेदक प्राप्त कर सकता है।

4/ आवेदक की यह शिकायत अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त